फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम राज० सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या 162/2024

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.05.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्थान अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस एवं जवाब हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 31.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	31/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी को बहस सुनी [illegible] बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मनन [illegible] अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थनापत्र 111, 128 स्वीकार किया जाता है [illegible] [illegible] से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली हो पत्रावली [illegible] होकर [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 102/2024
निर्णय दिनांक : 31/5/2024

1. मदनलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री रामपाल शर्मा, उम्र 58 वर्ष, निवासीः ग्राम विधाणी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की कृषि भूमी खाता संख्या नया 45 पुराना 44 में वर्णित खसरा नम्बर 378 रकबा 0. 6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.200 हैक्टेयर, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है तथा सहखातेदार सीताराम व गोविन्दराम पुत्रान् नारायण का हिस्सा 1/2 है, जो वाके ग्राम विमलपुरा, पटवार हल्का विधाणी, भू.अ.नि.क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थी निर्विवाद रूप से अपने कब्जे एवं स्वामित्व की भूमी में काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उत्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की कृषि भूमी है, उत्त आराजी पर प्रार्थी काबिज होकर कृषि काश्त के उपयोग उपभोग में निरन्तर लेता चला आ रहा है। प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम विधाणी के काकड की सीमाओ से लगती हुयी है, उत्त खसरा नम्बरान् के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ग्राम विधाणी की सीमाओ से लगता हुआ है, उत्त दिशाओ की सीमाओ के खातेदार प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि में अंदर घुसकर जबरन कब्जा करने का प्रयास निरंतर करते रहते है, जिस कारण आये दिन विवाद खडे रहते है। ग्राम विधाणी के दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी के खसरा नम्बरान् के खातेदार प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 378 व 379 की भूमि के अंदर घुसकर जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी की उत्त खसरा नम्बरान् की भूमि में कब्जा करने का प्रयास कर कृषि काश्त में दखल अंदाजी कर आये दिन लडाई–झगडे करते है। प्रार्थी द्वारा सीमाओ के खातेदारान् से समझाईश करने के बावजूद भी प्रार्थी की भूमि में दखल अंदाजी करते रहते है तथा प्रार्थी द्वारा सीमाओ की पत्थरीगढी करने के कथन करने पर भी सीमाओ के खातेदारान् ने मना कर धमकिया देते है कि ताकत के बल पर प्रार्थी की भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अन्दर घुसकर कब्जा करके रहेगें, इस कारण प्रार्थी की भूमि जो कि ग्राम विमलपुरा में स्थित है, के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी छौर के ग्राम विमलपुरा के खसरा नम्बरान् के खातेदारान् की सीमाओं पर पुख्ता चिन्ह व पत्थरगढी कराने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की कृषि भूमि पर बनी मेढबन्दी के अन्दर घुसकर ग्राम विधाणी के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी छौर के खसराओ के खातेदारान् व उनके विधिक वारीसान् आये दिन अतिक्रमण करने का प्रयास कर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी कर लडाई झगडा व विवाद करते रहते है, जिस कारण आये दिन विवाद खडे रहते है तथा आये दिन प्रार्थी को डराते धमकाते रहते है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की भूमी में अतिक्रमण करने की नियत से लडाई झगड़ा करते रहते है। प्रार्थी अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की वादग्रस्त आराजी पर ग्राम विधाणी के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी छौर के खसराओ के खातेदारान् व उनके विधिक वारीसान् के अनावश्यक विवाद को निपटाने हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के समक्ष सीमाज्ञान का आवेदन किया, जिसका फाईल क्रमांक 219 दिनांक 31.10.2022 है, जो अप्रार्थी के समक्ष कमांक भू.अ. 88/सीमाज्ञान/9345–9348 दिनांक 31.10.2022 के आदेशानुसार 15 दिवस में सीमाज्ञान करवाये जाने के आदेश पारित किये, इसके उपरांत दिनांक 02.05.2023 को पुलिस इमदाद हेतु पुलिस थाना शिवदासपुरा को लेटर कमांक / भू.अ. / 2023 / सीमाज्ञान /7478 जारी किया गया, परन्तु इसके बावजूद भी पडौसी गांव विधाणी के खसरान् के खातेदारान् के दबाव के कारण सीमाज्ञान उक्त आदेश की पालना में नही कराया जा सका, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को आदेशित किया जाना मुनासिफ है कि प्रार्थी के उपरोक्त खसरा नम्बरान् की सीमाओं के ग्राम विधाणी के काश्तकारो की सीमाओ के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी सीमाओ का सीमाज्ञान की कार्यवाही व पुख्ता चिन्ह अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद खत्म हो जायें और मौके पर शांति व्यवस्था कायम रहें। दप्रार्थी द्वारा ग्राम विधाणी के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी छौर के खसराओ के खातेदारान व उनके विधिक वारीसान् को पूर्व में अनेको बार व अंत में दिनांक 05.04.2024 को निवेदन कर अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा भूमी की सीमाओं के सीमाज्ञान हेतु अप्रार्थी के समक्ष दिनांक 31.10.22 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, जिसके आदेश की पालना में सीमाज्ञान् होने दिया जावें व उसमें रूकावट व व्यवधान उत्पन्न [illegible] यह कहा कि यदि प्रार्थी के खसरान के भूमि के भाग में एक [illegible] पश्चिमी, दक्षिणी छौर के खसराओ के खातेदारान [illegible] की भूमि में नही हैं। इस कारण प्रार्थी को ग्राम विधाणी के उत्तरी, पश्चि[illegible] दक्षिणी छौर के खसराओ के खातेदारान व उनके विधिक वारीस प्रार्थी के खसरा नम्बरान की सीमा रेखा पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तारबन्दी करने में कोई रोक टोक व बाधा उत्पन्न नही करें और ना ही उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें, प्रार्थी को तारबन्दी करने एवं उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करें। प्रार्थी के उपरोक्त कथनों से ग्राम विधाणी के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी छौर के खसराओ के खातेदारान व उनके विधिक वारीस नाराज होकर ऐलानिया धमकी दी कि किसी भी सूरत में प्रार्थी को तारबन्दी नही करने देंगे जब तक हमें कोई मोटी रकम नही दें देंवें। ग्राम विधाणी के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी छौर के खसराओ के खातेदारान व उनके विधिक वारीस के उपरोक्त कथनों एवं समझाईश के बाद और कोई विकल्प शेष नही होने से श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ। प्रार्थी व ग्राम विधाणी के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी छौर 8 के खसराओ के खातेदारान व उनके विधिक वारीसो की हरकतों से परेशान होकर आये दिन के विवादों से बचने के लिए तथा आगे भी भविष्य में कोई विवाद नही हो इस कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमी का सीमाज्ञान की कार्यवाही की जाकर पत्थरगढ़ी करवाना न्यायहित में किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में चर्णित भूमी का खातेदार काबिज काश्तकार है तथा ग्राम विधाणी के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी छौर के खसराओ के खातेदारान व उनके विधिक वारीस प्रार्थी की भूमी के सीमाओं के पड़ौसी खातेदार है। इस कारण प्रार्थी को अपनी भूमी का पुख्ता सीमाचिन्ह व पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। वाद कारण प्रार्थी के आवेदन फाईल कमांक 219 दिनांक 31.10.2022 एवं अप्रार्थी का सीमाज्ञान का आदेश दिनांक 31.10.22 पारित करने के उपरांत उपरोक्त ग्राम विधाणी के खसराओ के खातेदारान् द्वारा सीमाज्ञान नही होने देने, इसके उपरांत दिनांक 02.05.2023 को अप्रार्थी द्वारा पुलिस थाना से पुलिस इमदाद के लिए मांग कर सीमाज्ञान करवाने के प्रार्थना पत्र दिये जाने के बावजूद भी उपरोक्त ग्राम विधाणी के खातेदारान् बाहूबली के कारण प्रार्थी की भूमि के खसराओ का सीमाज्ञान नही हो सका तथा प्रार्थी द्वारा सीमाओं के खातेदारान् से बार–बार निवेदन करने के बावजूद भी सीमाज्ञान व पत्थनगढी प्रार्थी की सीमाओ पर किये जाने से मना कर व ताकत के बल पर प्रार्थी की जमीन हडपने की धमकी दिये जाने से निरंतर जारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय [illegible] है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर जाकर प्रार्थी की खातेदारी [illegible] की भूमी खाता संख्या नया 45 पुराना 44 में वर्णित खसरा नम्बर [illegible] खसरा नम्बर 379 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.200 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है तथा सहखातेदार सीताराम व गोविन्दराम पुत्रान् नारायण का हिस्सा 1/2 है, जो वाके ग्राम विमलपुरा, पटवार हल्का विधाणी, भू.अ.नि.क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जिला जयपुर में स्थित है, का सीमाज्ञान की कार्यवाही की जाकर, मौके पर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम किया जाकर तदोपरान्त पत्थरगढी करवाये जाने के लिए अप्रार्थी को हेतु बाबत आदेश जारी करने की कृपा करें कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की भूमी का ठोस सीमाचिन्ह कायम कर पत्थरगढ़ी करें तथा प्रार्थी की भूमि के ग्राम विधाणी के खातेदारान् द्वारा ताकत के बल पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही करने का विरोध करने की सूरत में पुलिस जाप्ता से सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही करवायी जावें।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया गया। दौराने पत्रावली का अवलोकन पाया की आज दिनांक तक प्रार्थी अधिवक्ता ने सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश नही की जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान नही हो रखा है। अतः तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर, प्रार्थी से उक्त भूमि का सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर, प्रार्थी की वाके ग्राम विमलपुरा, पटवार हल्का विधाणी, भू.अ.नि.क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 45 पुराना 44 में वर्णित खसरा नम्बर 378 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.200 हैक्टेयर का नियमानुसार सभी पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर, सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पुख्ता सीमाचिन्ह्र कायम करें। सीमाज्ञान एवं पत्थगढी के करते समय कानून व्यवस्था का ध्यान रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31/5/2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested